

प्रति

1. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001
2. समस्त उप-निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला-2

29 अक्टूबर, 2018

विषय:

Right of Children to Free and Compulsory
Education Act, 2009

महोदय,

मुझे आपका ध्यान Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 की ओर दिलाते हुए, इस एक्ट की धारा 12 के अन्तर्गत Weaker Section और दूसरे Disadvantage Group के बच्चों की ओर दिलाना है। जहां उन्हें किसी भी अपने आस-पास के स्कूलों में शिक्षा का अधिकार है। इन स्कूलों के बच्चे अपने मर्जी के स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं और सम्बन्धित स्कूलों का यह वैधानिक दायित्व है कि कुल कक्षा के 25 प्रतिशत बच्चे ऐसे हों जो कि Weaker Section का Disadvantage Group के हों।

राज्य सरकार एक्ट के तहत निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार इन बच्चों की फीस का भुगतान करेगी। सभी उप-निदेशकों से अनुरोध है कि इन प्रावधानों का व्यापक प्रचार करें तथा बिना किसी विलम्ब के सभी ऐसे स्कूलों में जहां पर प्री-स्कूल एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया शुरू है उनकी संख्या व वर्णित वर्गों में कितने छात्रों को अथवा स्कूलों में प्रवेश हेतु भेजा गया है तुरन्त भिजवाएं।

५२
सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार